संख्याः 2211/XXIV-3/08/02(135)2007

प्रेषक,

डा0 राकेश कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून दिनांकः 13 जनवरी, 2009

विषयः– राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–5(ख)1/28850/जीर्ण–शीर्ण/2008–09; दिनांकः 03 नवम्बर, 2008 के संबंध में तथा शासनादेश संख्याः 257/XXIV-3/2008/02(135)/2007 दिनांकः 20 मार्च, 2008 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित 02 राजकीय इण्टर कालेजों के चालू भवन निर्माण कार्यों हेतु स्तम्भ–4 पर अनुमोदित लागत के सापेक्ष स्तम्भ–5 पर पूर्व में स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए स्तम्भ–6 में अंकित विवरणानुसार कुल रू0 81.00 लाख (रू0 इक्यासी लाख मात्र) की धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 में प्रश्नगत योजना में शासनादेश संख्याः 657/XXIV-3/2008/ 02(37)/2008 दिनांकः 16 अप्रैल, 2008 द्वारा आपके निवर्तन पर रखी गयी धनराशि रू0 1500.00 लाख में से नियमानुसार व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः–

(धनराशि लाख में)

क्र0 सं0	विद्यालय का नाम	निर्माण ऐजेन्सी का नाम	आगणन की अनुमादित लागत	अब तक स्वीकृत धनराशि	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4	5	6
1.	रा0इ0का0, मियांवाला, देहरादून।	ग्रा0अभि0सेवा, देहरादून।	46.98	15.98	31.00
2.	रा0इ0का0 खुड़बुड़ा, देहरादून।	–तदैव–	76.85	26.85	50.00
		योग–	123.83	42.83	81.00

(क्रमशः–2)

(1)– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों पर तथा जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

(2)– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गणित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी. बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य को प्रारम्भ न किया जाय।

(3)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जायेगा, जितना कि स्वीकृत नार्मस है स्वीकृत नार्मस से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। कार्यो को समयबद्धता के साथ वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूर्ण करना तथा भवन विभाग को हस्तान्तरित किया जाना सुनिश्चित किया जाय. विलम्ब के कारण आगणन पुनरीक्षण पर विचार नही किया जायेगा।

(4)– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य टेकअप किया जाय।

(5)– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मद्दे नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखतें हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

(6)– कार्य करानें से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च–अधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल पर आवश्यकतानुसार प्राप्त निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

(7)– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, उसी मद पर व्यय किया जाय। एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(8)– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री को किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा लिया जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाये।

(9)– निर्माण की गुणवत्ता के लिए सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी उत्तरदायी होगी। अनुमोदित लागत पर ही निर्माण कार्य को पूर्ण किया जाय।

(10) जी0पी0 डब्लू फार्म–9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा.

(11) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 2047/XIV-219(2006); दिनांकः 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

2. उपर्युक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय और जहां आवश्यक हो, व्यय करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर यथा समय शासन

(क्रमश–3)

अर्पण

तथा महालेखाकार को उपलब्ध करा दिया जाय। स्वीकृति की प्रत्याक्षा में अनानुमोदित व्यय कदापि न किया जाय।

4– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–01–सामान्य शिक्षा–202–माध्यमिक शिक्षा–00–आयोजनागत–11– राजकीय हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट कालेजों के भवनहीन/जीर्ण–शीर्ण भवनों का निर्माण–24–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्याः 603 (P)/वित्त (व्यय नियंत्रण अनु0–3/2008 दिनांकः 31 दिसंबर, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 राकेश कुमार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 2211(1)/XXIV-3/08/02(135)/2007, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी,
3– निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी,
4– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल–पौड़ी।
6– अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल–पौड़ी।
7– जिलाधिकारी, देहरादून।
8– कोषाधिकारी, देहरादून।
9– जिला शिक्षा अधिकारी, देहरादून।
10– वित्त विभाग अनु0–03/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय।
11– बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
12– कम्प्यूटर सेल (वित्त विभाग), उत्तराखण्ड शासन।
13– एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
14– संबंधित निर्माण एजेंसी।
15– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0एल0शाह)
उप सचिव